झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा — दशम् (मॉनसून) सत्र

संख्या-02 — बुधवार, दिनांक-09 अगस्त, 2017 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वा० से 12.55 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आसन द्वारा अमर शहीद सेनानियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी और उनकी बलिदानी को याद किया गया।

(इस अवसर पर झारखण्ड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस के माननीय विधायक विभिन्न माँगों को लेकर अपने-अपने हाथों में स्लोगनयुक्त पोस्टर लिये हुए सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस बीच प्रश्नकाल की शुरूआत करते हुए माननीय सदस्य, श्री संजीव सिंह को पुकारा गया, लेकिन भारी शोरगुल के कारण इसका उत्तर नहीं हो सका। इस क्रम में सत्तापक्ष के कतिपय माननीय सदस्य भी अपनी-अपनी जगह पर खड़े होकर विरोध व्यक्त करने लगे।)

इसपर आसन द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी और उन्होंने सभा को अपनी भावना से अवगत कराते हुए नियमानुसार सदन को बाधित किये जाने की स्थिति में आसन को कठोर निर्णय लिये जाने की बात कही और अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.17 बजे पूर्वा० से लेकर 12.00 बजे मध्या० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

प्रथम पाली में उत्पन्न गतिरोध पर अध्यक्षीय कार्यालय में दलीय नेताओं के साथ हुए विचार-विमर्श के सम्बन्ध में आसन द्वारा सदन को अवगत कराया गया तत्पश्चात् आसन द्वारा पुकारे जाने पर क्रमशः माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री हेमन्त सोरेन, माननीय सदस्य, सर्वश्री अरुप चटर्जी, भानू प्रताप शाही, राधा कृष्ण किशोर एवं श्रीमती गीता कोड़ा और अन्त में माननीय मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने अपनी-अपनी भावनाओं से सदन को अवगत कराया। इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री साईमन मराण्डी ने भी आसन की अनुमति से अपनी बातें रखी तत्पश्चात् आसन द्वारा अपेक्षा की गयी कि अब से सदन सुचारू रूप से चलाया जायेगा। इसी क्रम में माननीय सदस्य, श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी द्वारा अपने विधान सभा क्षेत्र के तहत रमकंडा में मलेरिया की चपेट में आने से हुई 18 लोगों की मृत्यु की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया जिसे सरकार द्वारा संज्ञान में लिया गया।

कृपया पृष्ठ उलटें

1. माननीया राज्यपाल से प्राप्त संदेश का पढ़ा जाना:-

आसन द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908(संशोधन), विधेयक, 2016 एवं संथाल परगना काश्तकारी (अनुपूरक अनुबंध) अधिनियम-1949(संशोधन) विधेयक-2016 सम्बन्धी माननीया राज्यपाल महोदया से प्राप्त निम्न दो संदेश पढ़े गये-

संदेश संख्या 1-**Whereas amendment proposals have been received for amending Section 21, 49(1), (49)2 and 71 of the CNT Act, 1908 after assent of the State Legislature,**

And whereas a large number of representations has been received opposing the proposed amendments, the details whereof are at Annexure-1,

And whereas, the desirability, aims and objects of introducing the above referred amendments are not clear,

And whereas there is apparent incongruity while proposig the amendment with respect to right of transfer of land for welfare projects made only in the CNT Act, 1908 and no such amendment has been proposed for the land covered under the SPT (Supplementary Provisions) Act, 1949,

And whereas, no amendment in SPT (Supplementry Provisions) Act 1949 u/s 20(5) has been proposed as has been proposed in Section 71-A OF CNT Act,

Now, therefore, in view of these opinion/representations, I Droupadi Murmu, Governor of Jharkhand, am returning the proposals on amendments to the State Legislature to reconsider the proposals afresh.

संदेश संख्या 2-**Whereas amendment proposals have been received for amending Section 13 of SPT (Supplementry Provisions) Act, 1949 after assent of the State Legislature,**

And whereas, a large number of representations has been received opposing the proposed amendments, the details whereof are at Annexure-1,

And whereas the desirability, aims and objects of introducing the above referred amendments are not clear,

And whereas, there is apparent incongruity while proposing the amendment with respect to right of transfer of land for welfare projects made only in the CNT Act, 1908 and no such amendment has been proposed for the land covered under the SPT (Supplementary Provisions) Act 1949,

And whereas, no amendment in SPT (Supplementry Provisions) Act 1949 u/s 20(5) has been proposed as has been proposed in Section 71-A OF CNT Act, 1908,

Now, therefore, in view of these opinion/representations, I Droupadi Murmu, Governor of Jharkhand, am returning the proposals on amendments to the State Legislature to reconsider the proposals afresh.

2. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

श्री सरयू राय, माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा भारत के संविधान की धारा-323(2) में किये गये प्रावधान के अधीन झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से प्राप्त वित्तीय वर्ष-2015-16 (अवधि-01.04.2015 से 31.03.2016 तक) का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी।

कृपया पृष्ठ उलटें

3. वित्तीय कार्य:-

श्री सरयू राय, माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-203 के तहत वित्तीय वर्ष-2017-18 के प्रथम अनुपूरक की व्यय विवरणी सभा पटल पर रखी गयी जिसपर कटौती का प्रस्ताव आज दिनांक-09.08.2017 को 4.00 बजे अप० तक दिये जाने की घोषणा आसन से की गयी।

4. शून्यकाल की सूचनायें:-

आज प्राप्त शून्यकाल की सम्पूर्ण सूचनाओं को सम्बन्धित विभागों में लिखित उत्तर हेतु भेजे जाने की घोषणा आसन द्वारा की गयी तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक-10 अगस्त, 2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की गयी ।

राँची,
दिनांक- 09, अगस्त, 2017 ई०।

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।